कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।
पत्रांक 4986 /14–1 दिनांक : आगरा : 01, मई, 2018

सेवा में,

वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।

विषय : आगरा में जल सम्पूर्ति (गंगाजल) परियोजना के अन्तर्गत कैलाश मन्दिर से जीवनी मण्डी, वाटर वर्क्स उ0प्र0 जल निगम आगरा द्वारा बिछायी गयी पाइप लाइन में प्रयुक्त अतिरिक्त 10.22375 हे0 आरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ का पत्रांक–8बी0/यू0पी0/08/33/एफ0सी0/25 दिनांक 11.04.2018 एवं वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा का पत्रांक–4890/14–1 दिनांक 01.05.2018.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में लगायी गयी आपत्ति के बिन्दु संख्या–03 का निस्तारण कर अनुपालन आख्या निम्न प्रकार सेवा में प्रेषित है :–

क0सं0	भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियां	निस्तारण आख्या
3.	Proposed area is lying within Eco sensitive zone, recommendation of Chief Wild Life Warden/Sc-NBWL is needed.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या– 3579/26–11(वाटर पाइप लाइन/ आगरा) दिनांक 25.04.2018 के द्वारा ईको सेंसटिव जोन से सम्बन्धित प्राप्त अनापत्ति पत्र संलग्न है।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय

(मनीष मित्तल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

पत्रांक 4986 / 14–1 दिनांकित

प्रतिलिपि परियोजना प्रबन्धक, गंगाजल परियोजना इकाई, उ0प्र0 जल निगम, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

(मनीष मित्तल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रसंख्या– /26–11 (वाटर पाइप लाइन/आगरा) ,लखनऊ: दिनांक: अप्रैल 25 ,2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषय– जनपद आगरा में सूरसरोवर पक्षी विहार के ईको–सेन्सिटिव जोन/10 किमी0 दूरी के अन्तर्गत जल सम्पूर्ति (गंगा जल) परियोजना के अन्तर्गत कैलाश मन्दिर से जीवनी मण्डी, वाटर वर्क्स तक उ0प्र0 जल निगम, आगरा द्वारा वाटर पाइप लाइन बिछाये जाने की परियोजना में प्रयुक्त अतिरिक्त 10.22375 हे0 आरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोगार्थ अनुमति/अनापत्ति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– निदेशक, पर्यावरण निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ का पत्रसंख्या–83/पर्या/2018, दिनांक 24.04.2018

महोदय,

[illegible] अपने पत्र संख्या–4753/14–1 [illegible] द्वारा जनपद आगरा में [illegible] सूरसरोवर पक्षी विहार के ईको–सेन्सिटिव जोन के अन्तर्गत, [illegible] परियोजना के अन्तर्गत कैलाश मन्दिर से जीवनी मण्डी, वाटर वर्क्स तक उ0प्र0 जल निगम, आगरा द्वारा वाटर पाइप लाइन बिछाये जाने की प्रस्तावित परियोजना के क्रम में वन्य जीव सम्बन्धी अनापत्ति निर्गत किये जाने हेतु संस्तुति की गयी है।

चूँकि उक्त परियोजना सूरसरोवर पक्षी विहार की सीमा से 10 किमी0 दूरी के अन्तर्गत अवस्थित होने के दृष्टिगत, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रसंख्या–6-10/2011 WL, dated-15-12-2012 द्वारा जारी Guidance documents for taking up non forestry activities in wildlife habitat के पैरा–3.5.1– "Activities within 10 Kms from boundaries of National Parks and Wildlife Sanctuaries" में दी गयी व्यवस्था के क्रम में प्रस्ताव पर Environmental Clearance की आवश्यकता है अथवा नहीं, के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रसंख्या–607/26–11, दिनांक 20.04.2018 द्वारा निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ से वांछित अभिमत के सम्बन्ध में अपेक्षा की गयी।

प्रस्नगत प्रकरण में पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ ने उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 24.04.2018 द्वारा प्रेषित आख्या में उल्लेख किया गया है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–1533, दिनांक 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिशिष्ट में वाटर पाइप लाइन बिछाये जाने की परियोजना का उल्लेख नहीं है। अतः भारत सरकार द्वारा Environmental Protection Rules, 1986 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 में इंगित LIST OF PROJECT OR ACTIVITIES REQUIRING PRIOR ENVIRONMENTAL CLEARANCE हेतु इंगित श्रेणी में दी गयी वस्तुस्थिति के अनुसार परियोजना हेतु Environmental Clearance की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण में NBWL से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

भवदीय,

(एस0 के0 उपाध्याय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रसंख्या– 3579 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।
2. मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर।
3. महाप्रबन्धक, गंगाजल परियोजना इकाई, उ0प्र0, जल निगम, 4/4 संजय प्लेस, आगरा।

(एस0 के0 उपाध्याय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा
पत्रांक 4890/14-1 आगरा, दिनांक 01-05-2018

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, सा0 वा0 प्रभाग, आगरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रति हस्ताक्षरित

(मनीष मित्तल) 1/5/18
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आगरा

अग्रेषित
प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय वन संरक्षक
आगरा [illegible]

वन संरक्षक
आगरा वृत्त, आगरा

Scanned by CamScanner